


Goa:

GoaDoot



Times of India:



Herald Marathi

ई-सिगारेटवर बंदी घाला

डॉ. शेखर साळकर यांची मागणी

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)

राज्यातील मुलांचे ई-सिगारेटच्या घातक परिणामांपासून रक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ई-सिगारेटवर बंदी घालावी, अशी मागणी डॉ. शेखर साळकर यांनी केली आहे.

एम्स, एनसीडीआयआर आणि पब्लिक हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टम्स (ईएनडीएस) ने आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाने गठित केलेल्या उपसमिती गटाने २५१ अहवाल विचारात घेतले व निष्कर्ष काढला की, तंबाखू उत्पादनांमुळे अकाली मृत्यू आणि विकृती उद्भवतात. ईएनडीएसमध्ये वापरल्या जाणारे इतर घटक देखील हानिकारक असतात आणि उत्पादनाच्या विधारीपणामध्ये समाविष्ट होतात. शिवाय, जे जाहिरात घोरप वापरले जाते ते देखील केवळ समस्या निर्माण करणारे आहे. ते आत्मघाती आणि आकस्मिक विषबाधा देखील करू शकतात.

निकोटिन वितरीत करण्यासाठी ई-सिगारेट एक आकर्षक स्वरूपात समोर आणलेली एक यंत्रणा आहे. त्याला हानी न निर्माण करणारा घटक म्हणून उत्पादनासारखे विकले जात आहे, जे वास्तवाच्या विरोधात आहे. सध्या विविध प्रकारात सहजपणे हे उपलब्ध असल्याने याचे घातक परिणाम होऊ शकतील, असे साळकर म्हणाले.

ईएनडीएसचा मुख्य घटक निकोटिन-खूपच हानीकार आहे. हृदयरोगाचे आजार निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे कुपकुसाचे रोग, प्रतिकारशक्ती कमी होणे आणि सिस्टमवर प्रतिकूल परिणाम तसेच गर्भवती महिलांमध्ये गर्भपात होण्याची शक्यता असते.

कारण यात उच्च पातळीवरील विषबाधा होण्याची क्षमता आहे. ताबडतोब हृदयविकाराचा प्रभाव होऊ शकतो. ईएनडीएसची सुरक्षा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाली नाही किंवा प्रदर्शित केली गेली नाही.

तथापि, ईएलडीएस वापरकर्त्यांना इएलडीएस तंबाखू धूम्रपानापेक्षा सुरक्षित असल्याचे जाणवते. दिशामूल करणाऱ्या जाहिरातींनी प्रसारित केलेल्या या चुकीच्या भावना नवीन वापरकर्त्यांना, खास करून तरुणांना आकर्षित करतात.

Gomantak Times

ई-सिगारेटवर निर्बंध आणा !

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)

ई-सिगारेटवर निर्बंध आणवेत, असे कळकळीचे आवाहन 'नोट' या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना केले आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ला समितीने दिलेल्या निदेशानुसार हे आवाहन करण्यात आले आहे. पंजाब, कर्नाटक, केरळ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि वाराणसी, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, झारखंड व मिझोरम या राज्यांमध्ये ई-सिगरेट्स, वापरले व ई-हूबाच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. तसेच निर्बंध गोवा राज्यातही आणवेत, असे आवाहन 'नोट'ने मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टम्स (ईएनडीएस), ई-सिगरेट्स, हॉट-नॉट-बॉन उपकरणे, वाणे, ई-सौभाग्य, ई-निकोटिन पॅलेट्स हूबा आणि अन्य तत्सम साहित्य वा उपकरणांचे उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात व जाहिरात करण्यास मनाई केली, असे कळविले होते. दिल्ली न्यायालयाने केंद्र शासनाला देशातील ई-सिगरेट्समुळे उत्पन्न होणाऱ्या धोखेबाबत योग्य उपाय करण्यात होत असलेल्या विलंबाच्या अनुषंगाने काढता होता. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान (एमईआयटीयय) मंत्रालयाने ई-सिगरेट्सच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०१८ मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. तसेच केंद्रीय अग्रत्यक्ष कर आणि अडकरी मंडळाने आयात केलेल्या ई-सिगरेट्सच्या मालवाहतुकीवर प्रथम ड्यू कंट्रोलने परवानगी द्यावी, असे परिपत्रक काढले आहे. प्रसिद्ध कर्करंगतचक्र आणि नोट संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात या नवीन निकोटिन देणाऱ्या मालावर स्वरित निर्बंध घालवेत आणि तरुण पिढीला वाचवावे, असे आवाहन केले आहे. हे एक प्रकल्प निघ समाजात पेरले जात आहे, असे म्हटल्यास वाचणे ठरणार नाही. १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आरोग्य सेवा महासंघानाला त्याने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वरील साहित्यावर निर्बंध आणण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या बाबत राज्यांत निर्बंध घातले आहेत त्यांच्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने कबडकेन आदेश लागू होत नाही. नवे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सत्तेवर येऊन उपचार कर्तव निर्बंध आणून तरुणाईला नव्या विषापासून वाचवावे व त्यांचे रक्षण करावे, असे आवाहन 'नोट' संस्थेने केले आहे.

'नोट' तर्फे मुख्यमंत्र्यांना कळकळीचे आवाहन



डॉ. शेखर साळकर

O'Herald

http://epaper.heraldgoa.in/fullview.php?edn=oHerald&artid=OHERALDO GOA 20190331_7_13

Haryana & Chandigarh

Dainik Bhaskar

Yugmarg

States can ban E-Cigarettes & other nicotine delivery product using health ministry advisory

CHANDIGARH: Steadfast in its commitment to protect the health of children and youth, 12 states in India (Punjab, Karnataka, Kerala, Bihar, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Jharkhand and Mizoram) have banned the use and sale of e-cigarettes, Vape & E-Hookah due to its health harms using the Union Health Ministry advisory (MoHFW). The Ministry of Health & Family Welfare, Government of India on 28th August 2018 issued an advisory to all States/UT's, to ensure that Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS), e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-sheesha, e-Nicotine flavoured Hookah, and the like devices that enable nicotine delivery are not sold (including online sale), manufactured, distributed, traded, imported and advertised in their jurisdictions. The move came in the wake of the Delhi HC taking strong exception to the Centre for delay in coming up with appropriate.

Aap Ka Faisla

Divya Himachal

12 राज्यों में ई-सिगरेट, हुक्का बैन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के तहत लगा सेवन पर प्रतिबंध



हिन्दी संवाददाता रंजीत

बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को रखा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हुए भारत के 12 राज्यों (पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, झारखंड और मिजोरम) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को

एडवाइजरी का उपयोग कर ई-सिगरेट, वैप और ई-हुक्का के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी/परामर्श जारी की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकोटीन प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डििलीवरी सिस्टम, ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न डिवाइस, वैप, ई-शीगा, ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और अन्य उपकरण को बिक्री, निर्माण, वितरण, व्यापार, आयात और निर्यात के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी ई-सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2018 में एक संशोधन जारी किया है। टाट मैमोरियल हॉस्पिटल के अंकोलॉजिस्ट डा. पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि इन नए निकोटीन डििलीवरी उपकरणों के खिलाफ इनका कड़ा खड़ा अपनाने के लिए ही भारत को सहानुभूति करनी है। निकोटीन अत्यधिक जहरीला रसायन और संभावित कैंसरकारी है। उन्होंने कहा कि ईएनडीएस में उपयोग किए जाने वाले अन्य तत्व भी हानिकारक हैं। होलिस सेक्सरिया इंटीग्रेट ऑफ पब्लिक

हेल्थ के निदेशक डा. प्रकाश सी गुप्ता ने बताया कि ई-सिगरेट नामकरण उद्योग द्वारा इसोमल को जाने वाली एक युक्ति है, जो जल को गुमराह करने के लिए एक ट्यूबलर आकार देकर और टिप पर लाल एलईडी लगाती है, जो धूम्रपान का स्वयं करने के लिए एक ट्यूब को सूंघने के दौरान जल जाती है। कंप्यूटर चॉसिस नई दिल्ली के सीओओ अश्विनी सायनाल ने कहा कि हम बच्चों से आग्रह करते हैं कि वह मंत्रालय की एडवाइजरी का उपयोग कर ई-सिगरेट और अन्य निकोटीन डििलीवरी उपकरणों पर प्रतिबंध लगाएँ और अपने राज्य युवाओं को सुरक्षा करें।

Action India

ई-सिगरेट और अन्य निकोटीन संबंधित उत्पादों पर लग सकता है बैन

चंडीगढ़/एक्शन इंडिया व्यूरो बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को रखा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हुए, भारत के 12 राज्यों (पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, झारखंड और मिजोरम) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के एडवाइजरी का उपयोग कर ई-सिगरेट, वैप और ई-हुक्का के स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों के कारण इसके उपयोग और बिक्री पर



प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2018 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी/परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकोटीन प्रदान

करने वाले इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डििलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न डिवाइस, वैप, ई-शीगा, ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और अन्य उपकरण को बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), निर्माण, वितरण, व्यापार, आयात और निर्यात के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जायत है। देश में ई-सिगरेट के नये उभरते खतरे से निपटने के लिए, उचित उपायों करने में देरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को कड़ी आपत्ति के चलते यह कदम उठाया गया।

Haryana Mail

ई-सिगरेट और अन्य निकोटिन डिलीवरी उत्पाद प्रतिबंधित हो सकते हैं

राज्य-स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का उपयोग कर

हरियाणा मेल व्यूतो » चंडीगढ़

बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को रक्षक के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हुए, भारत के 12 राज्यों (पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, झारखंड और मिजोरम) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएचएफएलएन) के एडवाइजरी का उपयोग कर ई-सिगरेट, वैप और ई-ट्यूबक के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कारण इसके उपयोग और विक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2018 को सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी/परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकोटीन प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), ई-सिगरेट, ई-ट्यूबक और अन्य उपकरण की विक्री (ऑनलाइन विक्री सहित), निर्यात, वितरण, व्यापार, आयात और विभाजन उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं किया जाता है। देश में ई-सिगरेट के 'नये उभरते खतरों' से निपटने के लिए उचित उपायों करने में देश के तिरु दिल्ली हाईकोर्ट की फाई आर्बिट के चलते यह कदम उठाया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीआई) ने भी ई-सिगरेट के विभाजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (भारतमें) दिशानिर्देश) नियम 2018 में एक संशोधन जारी किया है। यह एक कि केंद्रीय अखत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह जलते हुए एक परिपक्व जारी किया है कि ई-सिगरेट के आयात को सभी जंग को सबसे पहले ड्रग कंट्रोलिंग ब्यू अनुमति दी जानी चाहिए।

Assam

- 1) The Sentinel : https://www.sentinelassam.com/news/e-cigarettes-pose-health-risks-similar-to-conventional-cigarettes/?fbclid=IwAR2sRgMJ0yFCu0qDeVkWUZfZldpHliZDhbGUH76B8WxPyjGAzF_3cB48f7E

2) NE LiveToday

<https://www.facebook.com/groups/264326557411604/permalink/580872655756991/>

Dainik Purbodaya



स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, राज्य सरकारों ई-सिगरेट पर लगाएं प्रतिबंध

▲ पूरबीय संवाददाता
 मुंबई, 8 अक्टूबर | बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को रक्षक के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हुए, भारत के 12 राज्यों (पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, झारखंड और मिजोरम) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएचएफएलएन) के एडवाइजरी का उपयोग कर ई-सिगरेट, वैप और ई-ट्यूबक के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कारण इसके उपयोग और विक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2018 को सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी/परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकोटीन प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), ई-सिगरेट, ई-ट्यूबक और अन्य उपकरण की विक्री (ऑनलाइन विक्री सहित), निर्यात, वितरण, व्यापार, आयात और विभाजन उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं किया जाता है। देश में ई-सिगरेट के 'नये उभरते खतरों' से निपटने के लिए उचित उपायों करने में देश के तिरु दिल्ली हाईकोर्ट की फाई आर्बिट के चलते यह कदम उठाया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीआई) ने भी ई-सिगरेट के विभाजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (भारतमें) दिशानिर्देश) नियम 2018 में एक संशोधन जारी किया है। यह एक कि केंद्रीय अखत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह जलते हुए एक परिपक्व जारी किया है कि ई-सिगरेट के आयात को सभी जंग को सबसे पहले ड्रग कंट्रोलिंग ब्यू अनुमति दी जाननी चाहिए।

पूर्वांचल प्रहरी का प्रथम शिफ्टी संस्करण

पूर्वांचल प्रहरी

सुशासन, विकास और सशक्तता के साथ

09/04/2019

स्वास्थ्य मंत्रालय ई-सीगरेट व अन्य निकोटिन उत्पादों पर कसे लगाम : सीएलपीएफ

गुवाहाटी। बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर भारत के 12 राज्यों केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एनओएफएफएलएन) के सलाहकारों का उपयोग कर ई-सीगरेट, वैप और ई-ट्यूबका के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण इसके उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन 12 राज्यों में पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु, पुदुचेरी, झारखंड और मिजोरम शामिल हैं। एक प्रेम, विवाह में जारी जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 2018 के 28 अप्रैल को सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को एक पत्राचार जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकोटिन प्रदान करने वाले ई-सिगरेट, सीट-नाट-चर्न डिवाइज,

वैप ई-सिगरेट, ई-निकोटिन फ्लेवर्ड ट्यूबका और अन्य उपकरण की बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), निर्माण, वितरण, व्यापार, अयात और विनायन उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इस मामलों को लेकर के जम्मू सीगरेट प्रोटेक्शन फोरम (सीएलपीएफ) के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों अलग हार्जिस ने बताया कि ई-सिगरेट एक अकार्बनिक प्रारूप में निकोटिन पहुंचाने के लिए मात्र एक तंतु है। उनका शिगणन कुदृष्टान कम करने वाले उपकरण के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह आसानी से अलग-अलग स्वादों में उपलब्ध है। लोगों को ई-सिगरेट का कड़ा लेने के लक्ष्य में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि भी हानिकारक है। इस दौरान अन्य कई गलतफहमी लोगों ने इस पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणी जताई है। (प्रस)